UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4025–औ0सं0 / 17–8–एम / 92 दिनांक : 09 अगस्त, 2017

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

Speed Post

विषयः– वाह्य सेवा प्रदाता–आउट सोर्सिंग–(ठेकेदार / संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों / लाइनो के अनुरक्षण आदि के कार्य पर नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं विद्युत दुर्घटना की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के परिपत्र सं0–3870–औ0सं0 / 15–8–एम–92 दिनांक 29.09.2015 तथा आदेश सं0–3032–औ0सं0 / 2016–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 25.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वाह्य सेवा प्रदाता / संविदाकार के माध्यम से उपकेन्द्रो / लाइनों के अनुरेक्षण आदि के कार्य पर नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये थे।

कारपोरेशन मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि अधिकांश वाह्य सेवा प्रदाता / संविदाकार के माध्यम से उपकेन्द्रो / लाइनों के अनुरेक्षण आदि के कार्य पर नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध न कराये जाने के कारण विद्युत दुर्घटनाए बढ़ी है जबकि कारपोरेशन मुख्यालय से निरन्तर इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जा रहे है। यह स्थिति कदापि उचित नही है। उच्च स्तर पर इसे गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्युत–दुर्घटनाओ को रोकने श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें एवं संविदा पर कार्य करने वाले श्रमिकों को सम्बन्धित ठेकेदारों / संविदाकारों द्वारा सुरक्षा–किट उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाये कि यदि कोई ठेकेदार / संविदाकार संविदा श्रमिकों को सुरक्षा–किट उपलब्ध नही कराता है तो उसका कांट्रेक्ट निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।

(विशाल चौहान)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–4025–औ0सं0 / 17, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), समस्त डिस्काम।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(विशाल चौहान)
प्रबन्ध निदेशक